राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली (राजस्थान)

विविध :: 30/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :: 2021/69

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य कार्यालय स्टेट बैंक भवन, मेडम कामा रोड़, मुम्बई 400021 (महाराष्ट्र), शाखा कार्यालय जोजावर,तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)		1. श्री परबतसिंह पुत्र श्री नैनसिंह जाति राजपूत निवासी–ग्राम आशापुरा, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.) प्रोप. अम्बिका मेटल स्टोर 2. श्री हिम्मतसिंह पुत्र श्री जगन्नाथसिंह जाति दहिया, निवासी साधों का बास, ग्राम जोजावर, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.) 3. मै. अम्बिका मेटल स्टोर ठि. फुलाद रोड़ जोजावर, जिला पाली, जरिये प्रोप. श्री परबतसिंह

जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

आदेश

दिनांक : 01/03/21

प्रार्थी बैंक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 बैंक के ऋणी व अप्रार्थी संख्या 2 बैंक के जमानती है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 10.08.2015 को 14,08,000/– रूपये (अक्षरे चौदह लाख आठ हजार रूपये मात्र) अपनी वित्तिय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवेदन कर ऋण प्राप्त किया तथा ऋणी/जमानती ने उपरोक्त ऋण व उस पर देय ब्याज व खर्चों के लिए अपनी प्रतिभूतिस्वरुप अचल सम्पति जो अप्रार्थी संख्या 1 श्री परबतसिंह पुत्र श्री नैनसिंह के नाम भारमुक्त सम्पति जिसमें भवन, शैड व भूखण्ड जो ग्राम गुड़ा दुर्जन के खसरा नम्बर 59 के नये बटा नम्बर 359/59, जिला पाली में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्सीमाये इस प्रकार हैः– पूर्व में खसरा नम्बर 59 की भूमि है, पश्चिम में रास्ता है, उत्तर में समर्पित भूमि सहित देसूरी–जोजावर रोड़ है, दक्षिण में खसरा नम्बर 59 की भूमी है। अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण इकरारनामा व साम्य मूलक बंधक सृजन करने का पत्र आदि दस्तावेजात पर अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किया। अप्रार्थीगण ने ऋण प्राप्त करने के पश्चात ऋणी/जमानती ने ऋण इकरारनामा की शर्तो के अनुरुप ऋण खाते का संचालन नहीं किया, जबकि अप्रार्थीगण को अपने उपरोक्त ऋण खाते का संचालन निष्पादित इकरारनामा के शर्तो के अनुरूप करना था। अप्रार्थीगण ने अपने स्वामित्व की सम्पति को प्रार्थी बैंक के पास जरिये Mortgage by deposit of title deed के बंधक रखा। अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबन्ध शर्तो के अनुरूप उक्त खाते में लेनदेन नहीं किया [illegible] इकरारनामा की शर्तो के अनुरूप देय राशि व ब्याज का भुगतान नहीं किया [illegible] उल्लंघन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:34:08 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला मजिस्ट्रेट, पाली

क्रमश पृष्ठ :: 2

अप्रार्थीगण को उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 19.10.2020 को देकर दिनांक 03.10.2020 को उक्त ऋण खातों मे बकाया राशि मय ब्याज के 12,42,856/–रूपये (अक्षरे बारह लाख बैयालीस हजार आठ सौ छप्पन रूपये मात्र) व दिनांक 04.10.2020 से देय ब्याज व खर्चों की मांग हेतु नोटिस दिया गया। देय नोशनल ब्याज व खर्चों की मांग की गई लेकिन ऋणी ने प्रार्थी बैंक को देय समस्त राशि का भुगतान नोटिस देने के उपरान्त भी नियत अवधि में नहीं किया। अतः अप्रार्थी द्वारा इस ऋण के लिये बतौर प्रतिभूतिस्वरूप बंधक रखे गये स्वामित्व की सम्पतिं का कब्जा एवं इससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को भी प्रार्थी बैंक को दिलाया जावें।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी बैंक नें अप्रार्थी को अपनी वित्तिय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 14,08,000/– (अक्षरे चौदह लाख आठ हजार रूपये मात्र) का ऋण दिया, उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेजात तैयार कर अपने हस्ताक्षर के प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये। प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार ऋण वसूली के लिये अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किया। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किए गए तथा समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात भी अप्रार्थी ने बैंक को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय कनार्टक की रिट याचिका संख्या 9694/2005 सुनन्दा कुमारी वगैरा बनाम स्टेण्डर्ड चार्टड बैंक निर्णय दिनांक 23.03.2006 के अनुसार ऋणी को धारा 13 की उपधारा 2 के तहत नोटिस जारी किया जाने व तामिल के पश्चात मजिस्ट्रेट को धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनःऋणी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पति को प्रार्थी के कब्जें में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं। जो इस प्रकार हैं :

14. Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset - (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him --

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto; and

(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पाली को भेजकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति स्वरूप अपने स्वामित्व की सम्पति जो ऊपर वर्णित किया हैं, के संबंध में थानाधिकारी को निर्देशित करें कि वे उक्त भूमि का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी बैंक को संभलाकर पा[illegible] भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की एक प्रति प्रार्थी बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible] हेतु प्रेषित की जावें।
आदेश सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:54:08 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

(अंश दीप)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली

जिला मजिस्ट्रेट, पाली